न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन डी पी एस एक्ट कैसेज
अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1 हिण्डौन सिटी
जमानत आवेदन संख्या– 287 /2023

दिनांक 23.5.2023

अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त श्री के0के0पुरी एवं अपर लोक अभियोक उपस्थित। प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से फर्द के साथ उसका कक्षा 10 के प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गयी । जिसमें अभियुक्त की जन्मतिथी 01.07.2006 अंकित है। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी–अभियुक्त रवि गुर्जर निवासी परउआ थाना गढी बाजना जिला भरतपुर की ओर से अन्तर्गत धारा 438 जा0फौजदारी के तहत बमुकदमा एफ आई आर संख्या– 471/22 पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन , अन्तर्गत धारा 8/28 एनडीपीएस एक्ट के तहत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी–अभियुक्त ने अपनी जन्मतिथी दिनांक 01.07.2006 बताते हुए वक्त प्रस्तुति प्रार्थना पत्र अपनी आयु 16 साल 2 माह होना बताया है। जिसके आधार पर प्रार्थी ने स्वयं को नाबालिग बताते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिससे इस स्तर पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या नाबालिग की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषनीय है अथवा नही ? तो इस सम्बन्ध में धारा 438 जा0फौजदारी में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जब किसी अपराध में आरोपी व्यक्ति को गिरफतार कने की युक्तियुक्त संभावना या विश्वास करने का कारण है तो उस स्थिति में धारा 438 जा0फौजदारी के प्रावधानों का अवलम्बन लिया जा सकता है। लेकिन प्रार्थी–अभियुक्त ने स्वयं को नाबालिग बताते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि ऐसे नाबालिग की कानूनन गिरफतारी नही की जा सकती, बल्कि किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण,) अधिनियम के तहत ऐसे किशोर को डिटेन किया जाता है। इस सम्बन्ध में माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय ने माईनर एक्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य क्रिमी मि0 एन्टीसिपेरटी बेल नम्बर 11542/ 2022 में यह अवधारित किया है कि अवयस्क की गिरफतारी की युक्तियुक्त आंशका व आधार नही होने से उसकी ओर से

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 438 जा0 फौजदारी के तहत अग्रिम जमानत हेतु पोषनीय नही है। विधि के विरूद्ध संघर्षरत किशोर की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधेपुर ने एस बी क्रिमीनल रिवीजन संख्या 354/2018 लोकेश चौधरी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.5.2018 में यह अवधारित किया है कि धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान लागू होगे।

लिहाजा उक्त सम्मान्नीय न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त कों रोशनी में प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषनीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया ।

(सीताराम मीना)